UPLL010023342026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 620/2026

मोना राजा उर्फ राजप्रताप, उम्र करीब 24 वर्ष, पुत्र धीरज सिंह उर्फ बट्टू राजा, निवासी ग्राम खिरिया छतारा, थाना बानपुर, जिला ललितपुर।

-----आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

स्टेट ऑफ यू.पी. द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।

-----विपक्षी।

मु०अ०सं० 495/2026

धारा 61(2), 274, 319(2), 318(4), 338, 336(3), 111(2)(b), 340(2) बी.एन.एस., धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व धारा 103 ट्रेडमार्क एक्ट, थाना कोतवाली ललितपुर।

दिनाँकः 15.06.2026

मुकदमा अपराध संख्या 495/2026, धारा 61(2), 274, 318(4), 319(2), 338, 336(3) बी.एन.एस., धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व धारा 103 ट्रेडमार्क एक्ट, थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त मोना राजा उर्फ राजप्रताप की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 620/2026 प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में कहा गया है कि इस प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त इस प्रकरण में कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं भारत वर्ष के किसी भी न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया है और ना ही निरस्त हुआ है। अग्रिम जमानत का यह प्रथम प्रार्थना पत्र है। उक्त तथ्यों का कोई खण्डन अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

3. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

4. घटना की प्राथमिकी मुकामी पुलिस द्वारा फर्द गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर पंजीकृत हुई है, जिसके अनुसार दिनांक 03/04.05.2026 को वादी मुकदमा उपनिरीक्षक प्रशांत राणा मय हमराह पुलिस बल एवं महिला पुलिसकर्मियों के साथ थाना कोतवाली ललितपुर से देखरेख शांति व्यवस्था, रोकथाम जुर्म जरायम एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग हेतु रवाना होकर क्षेत्र में गश्त एवं पिकेट ड्यूटी चेक कर रहे थे। दिनांक 04.05.2026 को बड़ी नहर पुल के पास मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि शराब माफियाओं का एक संगठित गिरोह नकली शराब तैयार कर उसे असली शराब के रूप में विभिन्न स्थानों पर बेचकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित कर रहा है तथा गिरोह का एक सदस्य सिलवर रंग की पैशन मोटरसाइकिल से नकली शराब बनाने में प्रयुक्त सामग्री लेकर मुहल्ला गंगापुरम कालोनी की ओर आने वाला है। उक्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINGH
Date: 2026.06.15 13:12:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

घेराबंदी की गई। सार्वजनिक व्यक्तियों को गवाह बनाने का प्रयास किया गया, किन्तु वे भय एवं आपसी रंजिश के कारण तैयार नहीं हुए। समय लगभग 16:50 बजे एक बिना आगे नम्बर प्लेट लगी मोटरसाइकिल नहर पटरी पर एन.एच.44 की ओर से आती दिखाई दी, जिसे देखकर मुखबिर ने बताया कि यह वही व्यक्ति है, जो शराब की तस्करी एवं नकली शराब के पैकिंग के ढक्कन, बारकोड, रैपर आदि की सप्लाई गंगापुरम् कालोनी ललितपुर में करता है। मोटरसाईकिल को चेकिंग के लिये रोकने का इशारा करने पर वह व्यक्ति हड़बड़ा गया एवं भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस बल द्वारा वाहन सहित पकड़ लिया गया। वाहन की पिछली नम्बर प्लेट MP 16 ML 3248 पाई गई। वाहन पर रखी प्लास्टिक बोरी की तलाशी लेने पर देशी शराब के 04 कार्टून, नकली ढक्कन, नकली रैपर, नकली बारकोड, दो प्लास्टिक के डिब्बे पाये गये, जिनको देखा गया तो एक प्लास्टिक के डिब्बे में कुछ तरल पदार्थ रंग काला एवं दूसरे प्लास्टिक के डिब्बे में पन्नी के अंदर लाल रंग का पदार्थ तथा प्लास्टिक की बोरी में नकली लेबल व नकली क्यूआर क़ोड एवं पॉलीथिन में लाल रंग का पाउडर पाया गया। डिब्बे से गंध आ रही थी। पकड़े गये व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम अंकित विश्वकर्मा बताया। अंकित से बरामद नकली ढक्कन व क्यूआर कोड आदि के बारे में पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि वह, रवि लखेरा व उसकी पत्नी शिवानी लखेरा (निवासी ग्राम महेवा, जिला छतरपुर, म.प्र., हाल पता गंगापुरम कालोनी, कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर), चंद्रेश लोधी उर्फ विक्की (निवासी– ग्राम अंडेला, थाना मालथौन, जिला सागर, म.प्र., हाल पता– गंगापुरम कालोनी, थाना कोतवाली, जनपद ललितपुर), मोना राजा (निवासी– खिरिया छतारा, बानपुर रोड, ललितपुर) एवं प्रेम सिंह बांगड़ी (निवासी– ग्वालियर, म.प्र.) के लिए कार्य करता है। पकड़े गये माल के बारे में अंकित ने बताया कि मोना राजा से यह माल लेकर वह रवि लखेरा एवं चन्द्रेश लोधी के पास गंगापुरम कालोनी, थाना कोतवाली ललितपुर जा रहा था। वहाँ पर हम सभी लोग मिलकर नकली शराब तैयार कर उस पर नकली रैपर, नकली ढक्कनों से सील कर उसके ऊपर नकली क्यूआर कोड लगाकर, विभिन्न स्थानों, सौरभ ढाबा, ग्राम बांदरी, जिला सागर (म.प्र.), संजू राजा का राज–विराज ढाबा, ग्राम बड़ौदिया, जिला सागर (म.प्र.), लोकेन्द्र सिंह बुन्देला का ढाबा, ग्राम पलेथनी, जिला सागर (म.प्र.), रामकुमार का रौनक ढाबा, ग्राम नन्दनवारा, ललितपुर एवं मध्य प्रदेश के सरकारी ठेकों की दुकानों पर कम कीमत पर सप्लाई कर मोटा मुनाफा कमाते हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग यह शराब नहीं बेचते हैं। हम सभी लोग इन नकली शराब के पौव्वों को आम जनमानस को मँहगे दामों पर सही के रूप में बिक्री कर बहुत पैसा अर्जित करते हैं। रवि लखेरा के घर पर इस गैंग के अन्य साथी रवि लखेरा, उनकी पत्नी शिवानी लखेरा, चन्द्रेश लोधी उर्फ विक्की व प्रेम सिंह बांगड़ी पकड़े जा सकते हैं। यह लोग क्रेटा कार और ऑडी जैसी मँहगी गाड़ियों से शराब की सप्लाई विभिन्न स्थानों पर करते हैं, जिससे रास्ते में कोई चेकिंग नहीं करता है। हम सभी लोगों ने नकली शराब तैयार कर मोटी रकम प्राप्त कर अपनी चल–अचल सम्पत्ति बनाई है। तभी पूर्व सूचना पर क्षेत्राधिकारी सदर तथा आबकारी निरीक्षक क्षेत्र प्रथम और महिला उपनिरीक्षक सीमा प्रजापति आ गये, जिनको घटनाक्रम से अवगत कराते हुए क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में मौके पर उपस्थित आबकारी निरीक्षक व हमराह कर्मचारीगण तथा पकड़े गये अंकित विश्वकर्मा के बरामद मोटरसाईकिल व उपरोक्त सामान आदि के रवाना होकर रवि लखेरा के मकान मोहल्ला गंगापुरम पर आये, जहाँ पर अंकित विश्वकर्मा की निशानदेही पर मकान के बाहर पहुँचने पर भीतर से "पुलिस आ गई, अपना बचाव करो" जैसी आवाजें सुनाई दीं तथा तरल पदार्थ मकान से बाहर बहता दिखाई दिया, जिसमें स्प्रिट की तीक्ष्ण गंध आ रही थी। घेराबंदी कर मकान का दरवाजा खुलवाया गया, जहाँ अंकित विश्वकर्मा द्वारा रवि लखेरा की पहचान की गई। पुलिस टीम द्वारा मकान में प्रवेश कर रवि लखेरा, चंद्रेश लोधी उर्फ विक्की, मनीष विश्वकर्मा एवं पुष्पेन्द्र ठाकुर को पकड़ लिया गया। रवि लखेरा के मकान के कैंपस में उल्टे पड़े ड्रमों से फैलाये गये तरल पदार्थ के सम्बन्ध में पूछने पर रवि लखेरा, मनीष विश्वकर्मा, पुष्पेन्द्र एवं चन्द्रेश लोधी उर्फ विक्की ने बताया था कि प्रेम सिंह

बांगड़ी व मोना राजा ने हम लोगों को पहले ही बताया था कि पुलिस के आने पर माल सहित पकड़े जाने पर यदि कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाये तो हमें स्टॉक में रखी स्प्रिट को जमीन पर फैला देना है। इसलिये जैसे ही हम लोगों को पता चला कि घर के बाहर पुलिस खड़ी है, हम लोगों ने ड्रम में रखी हुई स्प्रिट को फैला दिया था और बैठक में छिप गये थे, कि यदि पुलिस वाले हमें तलाशते हुए घर में घुसते हैं, तो हम लोग निकल कर बाहर भाग जायेंगे। पकड़े गये पाँचों व्यक्तियों से इस अवैध शराब को बनाने, परिवहन करने एवं विक्रय करने आदि के सम्बन्ध में पूछने पर रवि लखेरा ने बताया कि वह पहले शराब के कारोबार में छतरपुर एवं निवाड़ी (मध्यप्रदेश) में शराब की दुकानों का संचालन करता था जहाँ चन्द्रेश लोधी उर्फ विक्की सेल्समैन का काम करता था। उसकी कुल सात शराब की कम्पोजिट दुकानें हैं। इन दुकानों पर शराब की सप्लाई प्रेम सिंह बांगड़ी (ग्वालियर, म.प्र.) करता था। प्रेम सिंह बांगड़ी ने बताया था कि इन दुकानों के माध्यम से लाभ कम होगा किन्तु यदि हम लोग साथ मिलकर अवैध शराब तैयार कर उसे भिन्न–भिन्न स्थानों पर सप्लाई करें तो मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। बांगड़ी ने यह भी कहा था कि, “मैं शराब की सप्लाई करता हूँ, इसलिये आम लोगों का मुझपर काफी विश्वास है।” रवि लखेरा ने यह भी बताया कि तब उसने अपने साथियों प्रेम सिंह बांगड़ी, मो.नं. 7067558479, चंद्रेश लोधी उर्फ विक्की, मो.नं. 9301074643, अंकित विश्वकर्मा, मो.नं. 7880520417, मनीष विश्वकर्मा, मो.नं. 7080405614, पुष्पेन्द्र ठाकुर, मो.नं. 9454041217 एवं मोना राजा, मो.नं. 7897307167 से आपस मे बातचीत कर षड्यंत्रपूर्वक संगठित रूप से धन अर्जित करने के लिये नकली शराब बनाने की फैक्ट्री चालू करने की तैयारी कर ली। इस नकली शराब बनाने में उपयोग किये जाने वाले नकली रैपर, नकली क्यूआर कोड, नकली ढक्कन, नकली प्लास्टिक के डिब्बे, फूड कलर, केमिकल तथा स्प्रिट की व्यवस्था की जिम्मेदारी रवि लखेरा, प्रेम सिंह बांगड़ी, चन्द्रेश लोधी उर्फ विक्की व मोनू राजा ने ली। हम लोग दादा हरियाणा के यहाँ से दीपचन्द्र, बड़े राजा व गजेन्द्र के सहयोग से स्प्रिट को चोरी–छिपे लाकर नकली शराब बनाते थे। जब हम लोग स्प्रिट लेकर ग़ाड़ी पर मंगाते थे, तब प्रेम सिंह बांगड़ी व मोना राजा ब्रेजा कार एच.आर. 12 ए.जे. 8971 से निगरानी करते हुए स्पिरट की लदी हुई गाड़ी को लेकर आते थे। रवि लखेरा ने यह भी बताया कि उसने नकली बोतल को पैक करने वाली मशीन तथा अन्य सामान को खरीद लिया था, फिर हम लोगों ने छतरपुर (म.प्र.) में जगह बदल–बदल कर नकली शराब बनाने की फैक्ट्री चलाई तथा तैयार नकली शराब को असली के रूप में विभिन्न सरकारी ठेकों एवं ढाबों पर अपने प्राईवेट वाहनों के माध्यम से सप्लाई कर मोटी रकम अर्जित की और जब वहां पकड़े जाने की संभावना हुई तब उन्होंने अन्य स्थानों पर फैक्ट्री स्थापित कर नकली शराब को तैयार कर सही के रूप में भिन्न भिन्न ढाबों पर बेचकर मोटी रकम प्राप्त की है। कुछ समय पूर्व उसने (रवि ने) अपने अन्य साथियों प्रेमसिंह बांगडी, मोना राजा, अंकित विश्वकर्मा, मनीष विश्वकर्मा, चंद्रेश लोधी उर्फ विक्की व पुष्पेन्द्र से कहा कि, "अब वह लोग अपनी नकली शराब बनाने की फैक्ट्री मुहल्ला गंगापुरम कालौनी, ललितपुर में स्थापित कर अपने कारोबार को बड़ा कर मोटी रकम कम समय में प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर सभी लोग सहमत हो गये थे।" इसी योजना के तहत हम लोगों ने, यहाँ अपने घर पर नकली शराब की फैक्ट्री को स्थापित किया और जहाँ पर हम सभी लोग और मेरी पत्नी मिलकर इस काम को करते थे और स्टॉक को रखने के लिए अपने घर के बराबर में एक कमरा किराये पर लिया था। उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर नकली शराब को तैयार कर असली के रूप में बिक्री कर अर्जित धन से एक ऑडी कार (यू.पी. 16 बी.ई. 3443), क्रेटा कार (एम.पी. 16 जेड.एच. 6068), स्कोडा कार (एम.पी. 04 सी.एच. 1144) तथा मोटरसाईकिल हीरो पैशन (एम.पी. 16 एम.एल. 3248) तथा इस मकान को प्लाट खरीदकर कुछ समय पूर्व ही बनवाया है। हम सभी लोग अधिकांश लेन–देन नगद और कभी आई.सी.आई.सी.आई बैंक (खाता नं. 725905000709), एच.डी.एफ.सी. बैंक (खाता नं. 50200118578286), सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (खाता नं. 5171614022), एस.बी.आई. (खाता नं. 41899992574), ए.यू.

फाईनेन्स बैंक (खाता नं. 1911232522731683 एवं खाता नं. 1011232521087336) से ऑनलाइन पे.टी.एम. के माध्यम से भी ट्रांजेक्शन करते थे। मौके पर मौजूद चन्द्रेश लोधी उर्फ विक्की, मनीष विश्वकर्मा, अंकित विश्वकर्मा तथा पुष्पेन्द्र ने बताया कि हम लोगों ने षड़यंत्रपूर्वक संगठित रूप से धन अर्जित करने के लिये अवैध शराब का निर्माण कर असली के रूप में विक्रय करके मोटी रकम अर्जित कर चल–अचल सम्पत्ति को क्रय करने में उपयोग किया है तथा अपने साथी प्रेम सिंह बांगड़ी व मोना राजा को स्विफ्ट कार नं. यू.पी. 34ई 3778 से मौके से कुछ समय पूर्व नकली शराब बनाने का अन्य सामान लेने के लिये जाना बताया। रवि लखेरा, अंकित विश्वकर्मा एवं चन्द्रेश लोधी उर्फ विक्की की निशानदेही पर मौके पर अवैध नकली शराब निर्माण सामग्री को देखा गया तो पारदर्शी प्लास्टिक पौव्वा 9109 नग, 750 गत्ते (जिन पर एस.ओ.एम. ए सिम्बल इन क्वालिटी लिकर कॉरपोरेट ऑफिस, भोपाल अंकित था), 5329 नकली ढक्कन (जिन पर एस.ओ.एम. अंकित था), नकली बारकोड बारंग नीला 3363, नकली बारकोड बारंग लाल 19161, नकली रैपर पावर स्ट्रांग व्हिस्की 43700, नकली रैपर प्रिंस, देशी मदिरा मसाला बारंग नारंगी 50400, नकली रैपर प्रिंस देसी मदिरा मसाला बारंग लेमन 51720, नीले बड़े ड्रम 17, नीले छोटे ड्रम 4, एक अदद आर.ओ. मशीन, बोतल सील करने की मशीन ए.एम.आई.आर.आई एक अदद, फूड कलर लाल रंग का एक डिब्बा (जो पन्नी के अंदर लाल रंग रबर से बंद था), शार्प किलर 10, प्वाइजन एक अदद, अल्फा प्वाईजन एक अदद डिब्बी एवं अवैध रूप से अर्जित 5,50,000/–रू० (पाँच सौ, दो सौ एवं सौ की नोटों में) नकद बरामद हुए। मौके पर खड़ी क्रेटा कार नं० MP 16 ZH 6068 को रिमोट से खोलकर देखा गया तो गाड़ी की डिग्गी में दो अदद हल्के नीले रंग की बीस लीटर की बोतलें बरामद हुईं, जिन्हें सूँघने पर स्प्रिट की तीव्र गंध आ रही थी तथा गाड़ी के अंदर से तीन अदद नम्बर प्लेट, जिनमें दो अदद नम्बर प्लेटों पर MP 04 CH 1144 एवं एक नम्बर प्लेट पर UP 93 AE 0003 बरामद हुए, जिन्हें अभियुक्तगण द्वारा नकली शराब को ले जाते समय नम्बर प्लेट बदलकर होटल व ढाबों पर चोरी–छिपे पहुँचाने में उपयोग करना बताया गया। ऑडी कार नं० UP 16 BE 3443 से दो अदद हल्के नीले रंग की बीस लीटर की बोतलें बरामद हुई, जिनसे स्प्रिट की तीव्र गंध आ रही थी। रवि लखेरा, चन्द्रेश लोधी उर्फ विक्की, मनीष विश्वकर्मा, पुष्पेन्द्र ठाकुर एवं अंकित विश्वकर्मा का उक्त कृत्य आबकारी अधिनियम की धारा 60/72 एवं बी.एन.एस. की धारा 61(2), 274, 319(2), 318(4), 338, 336(3) एवं कॉपीराईट एक्ट की धारा 54/63 का दण्डनीय अपराध है। उपरोक्त अभियुक्तगण को नियमानुसार घटनाक्रम से अवगत कराते हुए तथा गिरफ्तारी के आधारों से सहज हिंदी भाषा में अवगत कराकर और गिरफ्तारी के आधारों की पठनीय प्रति देकर दूसरी प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर उनके विधिक अधिकारों व उनके पसंद के अधिवक्ता का चयन करने के अधिकार से नियमानुसार अवगत कराके पर्याप्त समय दिया गया। बरामद उपरोक्त खाली पारदर्शी पौव्वों से छः अदद नमूना माल पृथक् कर, बरामद गत्तों से छः अदद गत्ता, नकली ढक्कनों से छः अदद ढक्कन, नकली बारकोड से छः अदद बारकोड, नकली रैपरों से छः अदद विभिन्न ब्राण्ड के रैपरों को एक पारदर्शी डिब्बे में रखकर सील मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया तथा शेष बरामद माल को प्लास्टिक के बोरे में सील सर्व मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। फूड कलर सहित बरामद प्लास्टिक के डिब्बों एवं प्वाइजन के डिब्बों की अलग–अलग चिटबंदी की गई। बरामद देशी शराब बण्टी–बब्ली से चार अदद टेट्रा पैक नमूना माल अलग कर शेष को बोरी में सील सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। बरामद पावर स्ट्रांग व्हिस्की क्वार्टर, जिप्सी फाईन व्हिस्की क्वार्टर एवं देशी मदिरा मसाला प्रिंस नारंगी क्वार्टर को अलग–अलग चिट बंदी किया गया। अभियुक्तगण 1. रवि लखेरा, 2. चंद्रेश लोधी उर्फ विक्की, 3. मनीष विश्वकर्मा, 4. अंकित विश्वकर्मा, 5. पुष्पेन्द्र ठाकुर को नियमानुसार गिरफ्तारी के कारण एवं आधार से अवगत कराते हुये समय 18:25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त रवि लखेरा के कब्जे से एक अदद ओपो मोबाईल आई.एम.ई.आई. 866418081154434/866418081154426 एवं

सैमसंग गैलेक्सी मोबाईल आई.एम.ई.आई. 355744470484779/01 तथा 357818240484771/01 और वीवो वाई मोबाईल आई.एम.ई.आई. 861753074153604 /861753074153612 बरामद हुए। अभियुक्त अंकित विश्वकर्मा के कब्जे से लावा मोबाईल फोन आई.एम.ई.आई. 355644241423699/ 355646241423707 तथा रियल मी मोबाईल आई.एम.ई.आई. 866975067344156/ 866975067344149 बरामद हुये। अभियुक्त चन्द्रेश लोधी उर्फ विक्की के कब्जे से रियल मी मोबाईल फोन आई.एम.ई.आई. 866151066859491/866151066859483 तथा अभियुक्त पुष्पेन्द्र कुमार के कब्जे से ओपो मोबाईल फोन आई.एम.ई.आई. 861096054770652/ 861096054770642 बरामद हुये, जिन्हें घटना से संबंधित एवं डिजीटल साक्ष्य के मध्य नजर बरामदगी अनुसार पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बे में रखकर चिटबंदी किया गया। बरामदा नीले ड्रमों, RO वाटर मशीन, बोतल सील करने की मशीन, फर्जी नम्बर प्लेटों को पृथक– पृथक चिट बंदी किया गया। घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार नं0– एम पी 16 जेड एच 5860 ऑडी कार नम्बर UP 16 BE 3443 को मय रिमोट चाबियों के नियमानुसार कब्जा पुलिस में लिया गया और फर्द मौके पर ही वादी द्वारा बोल–बोलकर, उपनिरीक्षक आलोक कुमार द्वारा साथ लिये लैपटाप में लिखी गई व पेनड्राईव में डालकर अनिल कुमार को फर्द की दो प्रतियाँ कोतवाली ललितपुर में लगे प्रिंटर से निकालकर लाने हेतु रवाना किया गया। कुछ समय पश्चात् उपनिरीक्षक अनिल कुमार फर्द की दो प्रतियों में निकलवाकर मौके पर लाये, जिसे मूल फर्द से मिलान करने पर वह अक्षरशः सही पायी गयी। फर्द मौके पर वादी द्वारा पढ़कर व सुनाकर सर्वसम्बन्धित से अलमात बनवाये गये।

5. वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत फर्द बरामदगी के आधार पर मुकामी थाने कोतवाली ललितपुर में आवेदक/अभियुक्त मोना राजा तथा सहअभियुक्तगण अंकित विश्वकर्मा, रवि लखैरा, शिवानी लखैरा, चंद्रेश लोधी उर्फ विक्की, मनीष विश्वकर्मा, पुष्पेन्द्र ठाकुर, प्रेम सिंह बांगरी, दादा हरियाणा, दीपचन्द्र, बड़े राजा व गजेन्द्र के विरुद्ध अपराध संख्या अपराध संख्या 495/2026 पर धारा 61(2), 274, 318(4), 319(2), 338, 336(3) बी.एन.एस., धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व धारा 54/63 कॉपीराइट अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना प्रकरण से धारा 319(2) बी.एन.एस. व धारा 54/63 कॉपीराइट अधिनियम का लोप किया गया तथा धारा 111(2)(बी), 340(2) बी.एन.एस. व धारा 103 ट्रेडमार्क अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गयी। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क रखा गया है कि वह बेगुनाह एवं बेकसूर है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसका तथाकथित घटना से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। उसके पास किसी भी प्रकार का कोई विदेश जाने के लिये पासपोर्ट अथवा वीजा उपलब्ध नहीं है। उसे उपरोक्त प्रकरण में सहअभियुक्तगण के बयानों के आधार पर आरोपित किया जा रहा है। वह विवेचना में पुलिस का पूरा सहयोग करने के लिये तैयार है। वह विचारण के दौरान भी नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा और विचारण में सहयोग करेगा। उक्त प्रकरण धारा 482(4) बी.एन.एस.एस. से बाधित नहीं है। उसके गाँव के एवं उससे बुराई रखने वाले लोगों द्वारा योजनात्मक तरीके से पुलिस से मिलकर उसके विरूद्ध यह झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। फर्द बरामदगी एवं गिरफ्तारी के समय जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं लिया गया है, जबकि घटनास्थल आबादी का है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण से व बरमादगी से उसका कोई सरोकार नहीं है। पुलिस द्वारा उसके कब्जे से कोई बरामदगी नहीं की गई है। उसे न तो नकली शराब बनाते हुए और न ही बेचते हुए पकड़ा गया है। पुलिस के समक्ष अपना पक्ष रखने पर पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार किये जाने की प्रबल सम्भावना है।

7. अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त पर संगठित गिरोह बनाकर नकली शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं विक्रय जैसे गंभीर आर्थिक एवं जनस्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अपराध में सक्रिय रूप से

संलिप्त होने का आरोप है। सहअभियुक्त अंकित विश्वकर्मा की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा सह अभियुक्त रवि लखेरा के मकान पर दबिश दी गई और मौके से भारी मात्रा में नकली शराब बनाने की सामग्री, उपकरण, मिलावटी शराब एवं ₹5,50,000/– की अवैध नकदी बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों के कब्जे से बरामद वाहनों में फर्जी नम्बर प्लेटें प्राप्त हुई हैं, जिनका उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जाता था। अभियुक्त का आपराधिक नेटवर्क अंतर्राज्ीय स्तर पर सक्रिय है तथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा व मध्यप्रदेश सहित अन्य विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है। दौरान जमानत आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरुपयोग न करने की बात नहीं कही गयी है। जमानत प्राप्त करने के पश्चात् उनके द्वारा पुनः अपराध में सम्मिलित होने की सम्भावना है। अभियुक्त/आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

8. केस डायरी के परिशीलन से ज्ञात होता है कि घटना की प्राथमिकी फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर वादी मुकदमा उपनिरीक्षक प्रशान्त राणा द्वारा आवेदक/अभियुक्त मोना राजा उर्फ राजप्रताप एवं सह अभियुक्तगण शिवानी लखेरा, रवि लखेरा, अंकित विश्वकर्मा, चंद्रेश लोधी उर्फ विक्की, मनीष विश्वकर्मा, पुष्पेन्द्र ठाकुर, प्रेम सिंह बांगरी, दादा हरियाणा, दीपचन्द्र, बड़े राजा व गजेन्द्र के विरुद्ध नामज़द दर्ज हुई है। आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर, संगठित गिरोह बनाकर सुनियोजित एवं अवैध तरीके से जहरीली नकली शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं विक्रय जैसे गंभीर आर्थिक एवं जन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अपराध में सक्रिय रूप से संलिप्त होने का आरोप है। सह अभियुक्त रवि लखेरा व शिवानी लखेरा के मकान से नकली शराब बनाने की फैक्ट्री तथा मौके से भारी मात्रा में नकली शराब के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, हजारों की संख्या में नकली रैपर, ढक्कन, क्यूआर कोड, बारकोड, ड्रम, सीलिंग मशीन, जहर, फूड कलर, केमिकल्स, 5,50,000/– रू० की अवैध नकदी एवं अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त गाड़ियाँ बरामद हुई हैं।

10. सहअभियुक्त अंकित विश्वकर्मा को देशी शराब के चार अदद कार्टून, देशी मदिरा के नकली ढक्कन, नकली रैपर, नकली बारकोड एवं दो प्लास्टिक के डिब्बे, जिसमें एक में काले रंग का तरल पदार्थ तथा दूसरे प्लास्टिक के डिब्बे में पन्नी के अंदर लाल रंग का पदार्थ तथा प्लास्टिक की बोरी में नकली लेबल व नकली क्यूआर कोड के साथ उपनिरीक्षक प्रशान्त राणा की अगुवाई में हमराह पुलिस बल, आबकारी निरीक्षक व क्षेत्राधिकारी द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर उसकी निशानदेही एवं बयान के आधार पर पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही किये जाने पर सह अभियुक्त रवि लखेरा व शिवानी लखेरा के मोहल्ला गंगापुरम स्थित मकान पर छापेमारी की गई तो मकान के अंदर से बाहर की ओर अचानक तरल पदार्थ बहाया गया, जिसमें स्प्रिट की तीक्ष्ण गंध आ रही थी। उक्त मकान में मौके पर मौजूद रवि लखेरा, चन्द्रेश लोधी उर्फ विक्की, मनीष विश्वकर्मा, पुष्पेन्द्र ठाकुर को गिरफ्तार किया गया तथा **प्रेम सिंह बांगड़ी व मोना राजा (आवेदक/अभियुक्त) को स्विफ्ट कार नं. यू.पी. 34ई 3778 से मौके से कुछ समय पूर्व नकली शराब बनाने का अन्य सामान लेने के लिये जाना बताया। सह अभियुक्त अंकित विश्वकर्मा द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि जब वे लोग स्प्रिट लेकर ग़ाड़ी पर मंगाते थे, तब प्रेम सिंह बांगड़ी व मोना राजा (आवेदक/अभियुक्त) ब्रेजा कार एच.आर. 12 ए.जे. 8971 से निगरानी करते हुए स्पिरट की लदी हुई गाड़ी को लेकर आते थे।** बरामद नकली शराब में उपयोग आने वाले नकली रैपर, क्यूआर कोड, ढक्कन, प्लास्टिक के डिब्बे व फूड कलर, केमिकल तथा स्प्रिट की व्यवस्था करने की बात सह अभियुक्त रवि लखेरा ने स्वीकार की और बताया कि इसमें प्रेम सिंह बांगड़ी, चन्द्रेश लोधी उर्फ विक्की का भी सहयोग रहता है। अभियुक्तगण ने मिलकर नकली शराब को तैयार कर असली के रूप में बिक्री कर अर्जित धन से एक ऑडी कार यू.पी. 16बी 3443, क्रेटा कार एम.पी. 16 जेड एक्स 6061, स्कोडा कार एम.पी. 04 सी.एच. 1144, मोटरसाइकिल हीरो पैशन एम.पी. 16 एम.एल. 3214 को खरीदने तथा अवैध शराब के निर्माण व भण्डारण वाले मकान को बनवाने की

बात कही है। अवैध शराब से होने वाले लेन–देन को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया व फाईनेंस बैंक के खातों एवं ऑनलाइन पेटीएम के माध्यम से करना बताया है। सह अभियुक्तगण रवि लखेरा, अंकित विश्वकर्मा एवं चन्द्रेश लोधी उर्फ विक्की की निशानदेही व मौजूदगी में मौके पर **पारदर्शी प्लास्टिक पौव्वा 9109 नग, 750 गत्ते (जिन पर एस.ओ.एम. ए सिम्बल इन क्वालिटी लिकर कॉरपोरेट ऑफिस, भोपाल अंकित था), 5329 नकली ढक्कन (जिन पर एस.ओ.एम. अंकित था), नकली बारकोड बारंग नीला 3363, नकली बारकोड बारंग लाल 19161, नकली रैपर पावर स्ट्रांग व्हिस्की 43700, नकली रैपर प्रिंस, देशी मदिरा मसाला बारंग नारंगी 50400, नकली रैपर प्रिंस देसी मदिरा मसाला बारंग लेमन 51720, नीले बड़े ड्रम 17, नीले छोटे ड्रम 4, एक अदद आर.ओ. मशीन, बोतल सील करने की मशीन ए.एम.आई.आर.आई एक अदद, फूड कलर लाल रंग का एक डिब्बा (जो पन्नी के अंदर लाल रंग रबर से बंद था), शार्प किलर 10, प्वाइजन एक अदद, अल्फा प्वाईजन एक अदद डिब्बी एवं अवैध रूप से अर्जित 5,50,000/–रू० (पाँच सौ, दो सौ एवं सौ की नोटों में) नकद बरामद हुए। मौके पर खड़ी क्रेटा कार नं० MP 16 ZH 6068 को रिमोट से खोलकर देखा गया तो गाड़ी की डिग्गी में दो अदद हल्के नीले रंग की बीस लीटर की बोतलें बरामद हुईं, जिन्हें सूँघने पर स्प्रिट की तीव्र गंध आ रही थी तथा गाड़ी के अंदर से तीन अदद नम्बर प्लेट, जिनमें दो अदद नम्बर प्लेटों पर MP 04 CH 1144 एवं एक नम्बर प्लेट पर UP 93 AE 0003 बरामद हुए, जिन्हें अभियुक्तगण द्वारा नकली शराब को ले जाते समय नम्बर प्लेट बदलकर होटल व ढाबों पर चोरी–छिपे पहुँचाने में उपयोग करना बताया गया। ऑडी कार नं० UP 16 BE 3443 से दो अदद हल्के नीले रंग की बीस लीटर की बोतलें बरामद हुई, जिनसे स्प्रिट की तीव्र गंध आ रही थी।**

11. इस प्रकार पुलिस बल द्वारा सर्वप्रथम सहअभियुक्त अंकित विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया और उससे बरामदगी होने पर उसकी निशानदेही पर सह अभियुक्त रवि लखेरा के घर पर छापामारी की गयी, जहाँ रवि लखेरा सहित कुछ अन्य अभियुक्तगण गिरफ्तार किये गये। केस डायरी में अभियुक्त/आवेदक की अवैध शराब निर्माण में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहभागिता कही गयी है। सहअभियुक्तगण के कब्जे से बरामद नकली रैपर, क्यूआर कोड, बारकोड, ढक्कन एवं विभिन्न ब्राण्डों के कूटरचित लेबल प्रथमदृष्टया कूटरचना कर आम जनता को धोखे में रखकर नकली शराब को असली के रूप में विक्रय किये जाने की ओर इशारा करते हैं। सभी अभियुक्तगण मिलकर संगठित तरीके से कार्य कर रहे थे। संगठन के प्रत्येक सदस्य का विशिष्ट कार्य निर्धारित था। कोई अभियुक्त नकली शराब बनाने के लिये केमिकल, स्प्रिट, फूड कलर एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराता था, तो कोई नकली लेबल, बारकोड एवं ढक्कनों की व्यवस्था करता था तथा अन्य अभियुक्तगण नकली शराब को अलग–अलग स्थानों तक पहुँचाने एवं बिक्री करने का कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण द्वारा अवैध रूप से प्राप्त धनराशि का लेन–देन विभिन्न बैंक खातों एवं ऑनलाइन माध्यमों से किया जाना तथा उस धन से महँगे वाहन एवं सम्पत्तियाँ खरीदना भी प्रथम दृष्टया संगठित अपराध की ओर संकेत करता है। अभियुक्तगण की संलिप्तता राज्य की अर्थव्यवस्था को विपरीत रूप से प्रभावित करने वाली है। इस प्रकार अभियुक्तगण का कार्य समाज पर विपरीत रूप से असर डालने वाला एवं राज्य की अर्थव्यवस्था को विपरीत रूप से प्रभावित करने वाला है। यहाँ यह भी उल्लेख करना असंगत न होगा कि अभियुक्तगण ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि जमानत हो जाने के बाद वह लोग पुनः समान प्रकृति के अपराध या अन्य आपराधिक कृत्यों में शामिल नहीं होंगे।

12. अतः उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों, मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, कारित अपराध की गंभीरता तथा दण्ड प्रकृति, आवेदक/अभियुक्त की भूमिका तथा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ गिरोह बनाकर अवैध शराब निर्माण का संगठित अपराध करने एवं उसे असली के रूप में प्रयोग करते हुए परिवहन व विक्रय करने तथा बरामदगीस्थल से भारी मात्रा में बरामद जहर सहित नकली शराब विनिर्माण की सामग्री, उसके परिवहन तथा विक्रय किये जाने

तथा समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के तथ्य दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, जमानत का आधार पर्याप्त नहीं हैं। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 495/2026, धारा 61(2), 274, 318(4), 338, 336(3), 111(2)(b), 340(2) बी.एन.एस., धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व धारा 103 ट्रेडमार्क एक्ट, थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त मोनाराजा उर्फ राजप्रताप की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 620/2026 निरस्त किया जाता है।।

दिनाँकः 15.06.2026

(अशोक कुमार सिंह),
सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।